

पत्रांक::जी.एस.टी./2018-19/

617 /वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर उ० प्र०,

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ दिनांक: 24 सितम्बर, 2018

::आदेश::

विषय-केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य उत्तर प्रदेश में पंजीकृत करदाताओं का विभाजन।

उत्तर प्रदेश में पंजीकृत करदाताओं का विभाजन केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य किये जाने के संबंध में जी०एस०टी० काउंसिल सचिवालय के परिपत्र संख्या-01/2017 जारी किये गये विज्ञप्ति संख्या-166/Cross Empowerment/GSTC/2017 दिनांक 20.09.2017 के क्रम में गठित राज्य स्तरीय समिति जिसमें श्री सैयद हैदर हसन, चीफ कमिश्नर सेन्ट्रल टैक्स, लखनऊ और मेरठ जोन तथा श्रीमती कामिनी चौहान रतन, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, द्वारा राज्य में पंजीकृत करदाताओं के केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य विभाजन हेतु निम्न प्रकार निर्णय लिया गया-

1. ₹0 1.50 करोड़ से अधिक टर्नओवर के करदाता:-

(a) केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाता-(492 करदाताओं की सूची अनुलग्नक "1A" में प्रकाशित है।)

Sl. No.	Taxpayer's Name	GSTIN
1	AMBASHAKTI UDYOG LIMITED	09AAMCA5657N1ZW
.....		
492	Medicine Zone	09AALFM8890P1Z2

(b) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाता-(491 करदाताओं की सूची अनुलग्नक "1B" में प्रकाशित है।)

Sl. No.	Taxpayer's Name	GSTIN
1	ARCHER HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	09AAGCA0331B1ZE
.....		
491	RAJA RAM CHHANNU LAL	09ACBPK6929P1ZX

2. ₹0 1.50 करोड़ तक टर्नओवर के करदाता:-

(a) केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाता-(3952 करदाताओं की सूची अनुलग्नक "2A" में प्रकाशित है।)

Sl. No.	Taxpayer's Name	GSTIN
1	JMD CORPORATION	09AAJFJ8698N1Z5
.....		
3952	ABHISHEK KUMAR MAURYA	09AJZPM1941J1ZI

(b) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाता-(35,563 करदाताओं की सूची अनुलग्नक "2B" में प्रकाशित है।)

Sl. No.	Taxpayer's Name	GSTIN
1	TRIMURTI GRAPHIC	09BEOPS4289G1ZP
.....		
35563	SANTOSH KUMAR PRAJAPATI	09BABPP4394L1Z4

3. समस्त वाणिज्यक तथा औद्योगिक संस्थाओं/एसोसिएशन/चेयरमैन ऑफ कॉमर्स से यह निवेदन है कि उपरोक्त आदेश से संबंधित सूचना अपने समस्त सदस्यों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

नोट:- उपरोक्त सूची विभागीय वेबसाइट www.comtax.up.nic.in में जी0एस0टी0 पोर्टल के अन्तर्गत उपलब्ध Tab-"Taxpayers jurisdiction (Center/State)" को क्लिक करके अवलोकित की जा सकती है :-

- नोट:-**
1. केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन रू0 1.50 करोड़ से अधिक टर्नओवर के करदाता की सूची "1A"
 2. राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन रू0 1.50 करोड़ से अधिक टर्नओवर के करदाता की सूची "1B"
 3. केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन रू0 1.50 करोड़ तक टर्नओवर के करदाता की सूची "2A"
 4. राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन रू0 1.50 करोड़ तक टर्नओवर के करदाता की सूची "2B"

भवदीया,

(Handwritten Signature)

(कामिनी चौहान रतन)

कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।